ऑन लाईन नं. **RCMS 2023/02**

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर**

पीठासीन अधिकारी : डॉ हरीतिमा, आर.ए.एस.

**ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 01/2023**

राज्य सरकार जरिये श्री संदीप गौड़, प्रवर्तन अधिकारी, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।

**प्रार्थी**

**बनाम**

विजयपाल पुत्र श्री गोपाल राम जाति कुम्हार, निवासी बींझवायला, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।

फर्म :– ओम सर्विस स्टेशन बींझवायला, तहसील पदमपुर।

**अप्रार्थी**

**प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955**

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

**दिनांक : 05.04.2023**

**निर्णय**

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार जरिये श्री संदीप गौड़, प्रवर्तन अधिकारी, पदमपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि दिनांक 23.12.2022 को प्रवर्तन अधिकारी का दल जांच हेतु ओम सर्विस स्टेशन बींझवायला पहुंचे। जाँच के वक्त मौके पर मैसर्स ओम सर्विस स्टेशन पर श्री विजयपाल पुत्र श्री गोपाल राम जाति कुम्हार निवासी बींझवायला उपस्थित मिले। श्री विजयपाल की उपस्थिति में सर्विस स्टेशन की जांच करने पर ओम सर्विस स्टेशन पर मोटर गाड़ियों को धोने के साथ–साथ अवैध तरीके से घरेलू एलपीजी गैस को गाड़ियों में भरने का काम भी किया जा रहा था। सर्विश स्टेशन पर घरेलू गैस रिफिलिंग से संबंधित कोई भी अनुज्ञा पत्र या वैध दस्तावेज मौके पर नहीं मिला। सर्विस स्टेशन पर अवैध रिफिलिंग का कार्य घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर से होते पाये जाने के कारण सभी 10 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय गैस और गैस रिफिलिंग के लिए काम में ली जाने वाली एक बिजली की मोटर मय पाईप व रेगुलेटर जरिए फर्द जब्ती जप्त किया जाकर मौके पर मैसर्स गोदारा ग्रामीण वितरण बींझवायला के कार्यकर्ता श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री सादुलराम जाति जाट निवासी 31 आरबीप्रथम को सुपुर्द किया गया। फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती और फर्द सुपुर्दगीनामा मौके पर बनाया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलैण्डरों का अवैध तरीके से मैसर्स ओम सर्विस स्टेशन पर गैस रिफिलिंग हेतु उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी), 4(1) (ए) व 7(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की गई है। सीजशुदा 10 एलपीजी गैस सिलेण्डर मय गैस और गैस रिफिलिंग के लिए काम में ली जाने वाली बिलजी चलित एक मोटर को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी के खिलाफ संज्ञान लिया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ तथा परिवाद का जवाब पेश किया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक दिनांक 23.12.2022 को प्रवर्तन अधिकारी जांच हेतु ओम सर्विस स्टेशन बींझवायला पहुंचे। जाँच के वक्त मौके पर मैसर्स ओम सर्विस स्टेशन पर श्री विजयपाल पुत्र श्री गोपाल राम जाति कुम्हार निवासी बींझवायला उपस्थित मिला, जिसने स्वंय को फर्म का मालिक होना बताया। विजयपाल की उपस्थिति में सर्विस स्टेशन की जांच करने पर ओम सर्विस स्टेशन पर मोटर गाड़ियों को धोने के साथ-साथ अवैध तरीके से घरेलू एलपीजी गैस को गाड़ियों में भरने का काम भी किया जा रहा था। सर्विश स्टेशन पर घरेलू गैस रिफिलिंग से संबंधित कोई भी अनुज्ञा पत्र या वैध दस्तावेज मौके पर नहीं मिला। सर्विस स्टेशन पर अवैध रिफिलिंग का कार्य घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर से होते पाये जाने के कारण सभी 10 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय गैस और गैस रिफिलिंग के लिए काम में ली जाने वाली एक बिजली की मोटर मय पाईप व रेगुलेटर जरिए फर्द जब्ती जप्त किया जाकर मौके पर मैसर्स गोदारा ग्रामीण वितरण बींझवायला के कार्यकर्ता श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री सादुलराम जाति जाट निवासी 31 आरबीप्रथम को सुपुर्द किया गया। फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती और फर्द सुपुर्दगीनामा मौके पर बनाया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस एवं सिलैण्डरों का अवैध तरीके से मैसर्स ओम सर्विस स्टेशन पर गैस रिफिलिंग हेतु उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी), 4(1) (ए) व 7(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की गई है। सीजशुदा 10 एलपीजी गैस सिलेण्डर मय गैस और गैस रिफिलिंग के लिए काम में ली जाने वाली बिजली चलित एक मोटर को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि उसके परिवार में दिनांक 09.12.2022 को गांव खोथांवाली में विवाह कार्यक्रम था जिस हेतु कुल 10 घरेलु एलपीजी सिलेण्डर हमारे द्वारा अपने पड़ोसियों के सहयोग से विवाह कार्यक्रम की आवश्यकता को देखते हुए संबंधित परिवार को उपलब्ध कराए गए थे। विवाह सम्पन होने के पश्चात् कुछ दिन बाद जैसे ही संबंधित परिवार अपनी विवह संबंधी व्यस्तताओं से मुक्त हुए उनके द्वारा उक्त घरेलु सिलेण्डरों को पुनः लौटाने के उद्देश्य से हमारी फर्म मै. ओम सर्विस स्टेशन, बींझवायला पर भिजवाया गया था ताकि हम पुनः अपने पड़ोसियों को सिलैण्डर लौटा सकें। इससे पूर्व कि हम उक्त घरेलु सिलेण्डर पूनः अपने पड़ोसियों को लौटा पाते सिलेण्डर जब्ती की कार्यवाही हम पर हो गयी थी। अतः हमारी परिस्थितियों को समझते हुए उदार हृदयता के साथ उक्त घरेलु सिलेण्डरों को राजसात न करने की कृपा करें। बहस के दौरान अप्रार्थी ने उक्त जवाब को ही अपनी बहस बताया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक दिनांक 23.12.2022 को प्रवर्तन अधिकारी जांच हेतु ओम सर्विस स्टेशन बींझवायला पहुंचे। जाँच के वक्त मौके पर मैसर्स ओम सर्विस स्टेशन पर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

श्री विजयपाल पुत्र श्री गोपाल राम जाति कुम्हार निवासी बींझवायला उपस्थित मिला, जिसने स्वंय को फर्म का मालिक होना बताया। ओम विजयपाल की उपस्थिति में सर्विस स्टेशन की जांच करने पर सर्विस स्टेशन पर मोटर गाड़ियों को धोने के साथ-साथ अवैध तरीके से घरेलू एलपीजी गैस को गाड़ियों में भरने का काम भी किया जा रहा था। सर्विश स्टेशन पर घरेलू गैस रिफिलिंग से संबंधित कोई भी अनुज्ञा पत्र या वैध दस्तावेज मौके पर नहीं मिला। सर्विस स्टेशन पर अवैध रिफिलिंग का कार्य घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर से होते पाये जाने के कारण सभी 10 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय गैस और गैस रिफिलिंग के लिए काम में ली जाने वाली एक बिजली की मोटर मय पाईप व रेगुलेटर जरिए फर्द जब्ती जप्त किया जाकर मौके पर मैसर्स गोदारा ग्रामीण वितरण बींझवायला के कार्यकर्ता श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री सादुलराम जाति जाट निवासी 31 आरबीप्रथम को सुपुर्द किया गया। फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती और फर्द सुपुर्दगीनामा मौके पर बनाया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस एवं सिलैण्डरों का अवैध तरीके से मैसर्स ओम सर्विस स्टेशन पर गैस रिफिलिंग हेतु उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी), 4(1) (ए) व 7(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की गई है।

फलस्वरूप, अप्रार्थी से जब्त शुदा 10 एलपीजी गैस सिलेण्डर मय गैस और गैस रिफिलिंग के लिए काम में ली जाने वाली बिजली चलित एक मोटर को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर